कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ का करेन्ट लगाकर शिकार करने वाले दो आरोपी एसटीएसएफ द्वारा पकडे गये

प्रेस विज्ञप्ती (**73/25,** दिनांक **18.11.2025)**

संजय टाइगर रिजर्व के ब्योहारी परिक्षेत्र में दिनांक 08.11.2025 को ग्राम बोचरों में एक खेत में वन्यप्राणी के अंग पाये जाने के बाद अपराध प्रकरण क्रमांक 468/01 दिनांक 08.11.2025 दर्ज किया गया था। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश की जबलपुर इकाई व संजय टाइगर रिजर्व संयुक्त अमले के द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये शहडोल जिले से 02 आरोपियों 1. अम्ब्रीष लोनी पिता रामबदन लोनी 2. लल्लू कोल पिता गेदालाल कोल ग्राम बोचरो, परिक्षेत्र ब्योहारी (बफर) जिला शहडोल को छापामार कार्यवाही कर दिनांक 14.11.2025 को गिरफ्तार किया। आरोपियों द्वारा बाघ को करेन्ट लगाकर मारना बताया तथा बताये गये स्थल की स्थानीय अमले के साथ मौका शिनाख्ति में आरोपियों द्वारा बताया गया कि तार एवं खूटियों की सहायता से जंगली जानवर के शिकार के उद्द्येष्य से करेन्ट लगाया गया था। जिससे बाघ की मृत्यु हो गई व हम लोगो ने बाघ के शव को काट कर उसकी खाल अलग कर बचे अवशेषों को अलग-अलग जगह खेत में दबा दिया था। उक्त जप्त, अवयवों, बाघ की खाल को विधिवत जप्त कर स्थानीय अमले के द्वारा विभिन्न फॉरेन्सिक लैब भेजा जायेगा।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई संजय टाइगर रिजर्व के अमले के सहयोग से उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय ब्यौहारी में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल